न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — भवानीसिंह पालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 63/अपील/18 — तारीख दायरा 14.05.18

मदनलाल आ0 घीसा कलाल निवासी बैरागढ तहसील अकलेरा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 06.03.18 मि0न0 161/18

उपस्थितः— श्री शैलेन्द्र पोसवाल अभिभाषक अपीलान्ट

—:: निर्णय ::— दिनांकः 17.05.2018

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 06.03.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बैरागढ तहसील अकलेरा के ख0न0 38 की 10 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 28/ रूपये अर्थदण्ड व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट ही मनमाना निर्णय सुना दिया गया अपीलान्ट उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ चुका है—अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा दिया गया है, जिसकी पुष्टि में उनके द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट कब्जा छोड़ने बाबत प्रस्तुत की गई—अपीलान्ट का अब राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण नही है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है—अपीलान्ट भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा इस बाबत भी 50 रू0 स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.18 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर गोर किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा आरोपित शास्ति जमा राज करवाई जा चुकी है एव विवादित भूमि पर से कब्जा हटाने बाबत पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है साथ ही भविष्य में उसके द्वारा एवं उसके परिवारजन द्वारा कब्जा नही किये जाने बाबत आश्वस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है—परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर शेष निर्णय यथावत रखा जाता है—निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़